इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2014—माघ 18, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. एफ-बी-4-07-2012-2-पांच-(10).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स न्यू जोन इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में ताप विद्युत् परियोजना स्थापित करने हेतु किए जा रहे भू-अर्जन के मामलों में विस्थापितों/ प्रभावित परिवारों को अवार्ड के अनुसार देय प्रतिकर तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की सीमा तक की भूमि के क्रय विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(1) इस परियोजना हेतु पुनर्वास पैकेज की औपचारिक स्वीकृति, संभावित स्टाम्प शुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक रकम जिला कलक्टर द्वारा लोक लेखा के निर्धारित राजस्व शीर्ष में जमा कराने के पश्चात् जारी की जाएगी.

(2) इस परियोजना के पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत प्रत्येक विस्थापित परिवार के पक्ष में जिला कलक्टर द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें विस्थापित व्यक्ति को देय प्रतिकर की रकम के साथ-साथ विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख किया जाएगा तथा उसमें स्टाम्प शुल्क की रकम में दी जा रही छूट की पात्रता भी प्रमाणित की जाएगी. उक्त प्रमाण-पत्र विस्थापित व्यक्ति द्वारा अर्जित भूमि के विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. छूट की पात्रता प्रतिकर तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम तक सीमित होगी.

(3) इस परियोजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत विलेखों के आधार पर स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग जिला पंजीयक द्वारा प्रतिमाह जिला कलक्टर से की जाएगी तथा जिला कलक्टर, उक्त मांग पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर उक्त प्रतिपूर्ति की रकम लेखा शीर्ष ''0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण'' में जमा कराएगा.

(4) स्टाम्प शुल्क में यह छूट प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान के भुगतान की तारीख से केवल दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. एफ-बी-4-07-2012-2-पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ-बी-4-07-2012-2-पांच-(10), दिनांक 7 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February 2014

No. F-B-4-07-2012-2-V(10).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits stamp duty chargeable on deeds of purchase of Land by displaced / effected families, to the extent of payable compensation and special rehabilitation grant according to award in cases of land acquisition for establishing thermal power project by M/s New Zone India Private Limited in District Anuppur, subject to the following conditions, namely:—

(1) The formal sanction shall be issued after the essential amount of expected compensation of stamp duty of rehabilitation package for this project is deposited in designated Revenue head of public account by District Collector.

(2) A certificate in favour of every displaced family under rehabilitation package of this project shall be issued by the District Collector, in which the amount of compensation alongwith amount of special rehabilitation grant payable to displaced person shall be mentioned, and the entitlement of exemption of amount of stamp duty shall also be certified in it. This certificate shall be submitted by the displaced person at the time of registration of deed of acquired land before Registering Officer. The eligibility of exemption of payable stamp duty shall be limited to the extent of amount of compensation and special rehabilitation grant.

(3) The demand for reimbursement of stamp duty on the basis of registered deeds under this project shall be submitted every month by District Registrar to District Collector, and District Collector shall deposit the amount of reimbursement in account head "0030 Stamps and Registration" within one month from the date of receipt of demand.

(4) The exemption on stamp duty shall be valid only for two years from the date of payment of compensation and rehabilitation grant.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.